<u>न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.कमांक :- 30 / 2017)

(संस्थित दिनांक :- 25 / 01 / 2017)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

## // विरूद्ध //

- 01. मायाराम बाल्मीक पुत्र भूरेलाल बाल्मीक, उम्र 60 वर्ष।
- 02. रामस्वरूप बाल्मीक पुत्र भूरेलाल बाल्मीक, उम्र 45 वर्ष।
- 03. सूरज बाल्मीक पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक, उम्र 18 वर्ष। निवासीगण :— ग्राम इटायली, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

.....अभुयक्तगण।

\_\_\_\_\_\_

## <u>// निर्णय//</u>

( आज दिनांक : 13/11/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण मायाराम, रामस्वरूप एवं सूरज पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 19/01/2017 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी रामसेनही के मकान के पास स्थित ग्राम इटायली में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामसनेही को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामसनेही की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सूरज ने फरियादी रामसनेही की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रामसेनही को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 19/01/2017 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी रामसेनहीं के मकान के पास स्थित ग्राम इटायली में, आरोपीगण द्वारा फरियादी रामसनेहीं से गाली—गलौच करने, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामसनेही द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण मायाराम, रामस्वरूप एवं सूरज के विरूद्ध अपराध कमांक 13/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी रामसनेही, साक्षीगण रामदास, कल्ली एवं मुकेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण मायाराम, रामस्वरूप एवं सूरज के विरूद्ध धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी सूरज ने दिनांक :— 19/01/2017 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी रामसेनही के मकान के पास स्थित ग्राम इटायली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामसनेही की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सूरज ने फरियादी रामसनेही की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी रामसनेही अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना 06. है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक :--20 / 09 / 2017 से लगभग आठ माह पूर्व की होकर शाम 05-06 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका आरोपीगण से पुरानी रंजिश पर से मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना मौ में की गई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामसनेही अ.सा.02 ने आरोपी सूरज द्वारा दिनांक :- 19/01/2017 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी रामसेनही के मकान के पास स्थित ग्राम इटायली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी धारदार आयुध कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत फरियादी रामसनेही अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्व ारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामसनेही अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

- अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सूरज ने दिनांक :- 19/01/2017 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी रामसेनहीं के मकान के पास स्थित ग्राम इटायली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामसनेही की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सूरज ने फरियादी रामसनेही की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित
- अभियोजन आरोपीगण मायाराम, रामस्वरूप एवं सूरज के विरूद्ध धारा 09. 324 / 34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद